रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05082024-256058
SG-DL-E-05082024-256058

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]	दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2024/ श्रावण 11, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 147
No. 06]	DELHI, FRIDAY , AUGUST 2, 2024/ SHRAVANA 11, 1946	[N. C. T. D. No. 147

भाग III
PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 अगस्त, 2024

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नेट मीटरिंग) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024

सं. फा. एफ3(629)/टैरिफ-इंजी/डीईआरसी/ 2020-21/6910/808.—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोगए विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) की धारा 61(च) और धारा 86 (1) (ई) के साथ पठित धारा 181, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने डीईआरसी (*नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नेट मीटरिंग*) विनियम 2014 के विनियम 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां और इस निमित सामर्थ्यकारी सभी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुएए एतदद्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (*नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नेट मीटरिंग*) विनियम 2014 (इसके बाद "मूल विनियमों के रूप में संदर्भित") को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्:—:

1.0 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (*नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नेट मीटरिंग*) (*प्रथम संशोधन*) विनियम 2024 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.0 मूल विनियमों के विनियम 5 (3) में जोडना

2.1 मूल विनियमों के विनियम 5 के उप–विनियम (3) में निम्नानुसार नए प्रावधान में जोड़ा जाएगा :

"बशर्ते कि 10 किलोवाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की तकनीकी संभाव्यता को समान आपूर्ति प्रकार (वोल्टेज स्तर– 1 पीएच, 3 पीएच,, आदि) पर तकनीकी संभाव्यता अध्ययन से छूट दी गई है और उपभोक्ता के स्वीकृत भार में कोई भी आनुपातिक वृद्धि, जैसा कि आवश्यक हो, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा।

बशर्ते कि 10 किलोवाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की संस्थापन की सुविधा प्रदान करने के लिए डीटी क्षमता सहित वितरण अवसंरचना में कोई उन्नयन, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा और आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में पास थ्रू के रूप में अनुमति दी जाएगी ।

बशर्ते कि 10 किलोवाट से ऊपर की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की तकनीकी संभाव्यता को वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर सभी पहलुओं में पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजेश दाँगी, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd August, 2024

Delhi Electricity Regulatory Commission (Net Metering for Renewable Energy) (First Amendment) Regulations, 2024

No. F. F3(629)/Tariff-Engg./DERC/2020-21/6910/808.—The Delhi Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred under Section 181 read with Section 61(h), Section 86 (1) (e) of the *Electricity Act, 2003*, Regulation 16 of *DERC (Net Metering for Renewable Energy) Regulations, 2014* and all other powers enabling it in this behalf, hereby amends the following Regulation in *DERC (Net Metering for Renewable Energy) Regulations, 2014* (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"):

1.0 Short Title and Commencement:

(1) These Regulations may be called the *Delhi Electricity Regulatory Commission (Net Metering for Renewable Energy) (First Amendment) Regulations, 2024*.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2.0 Addition in Regulation 5 (3) of Principal Regulations:

2.1 New provisos added to Sub-regulation (3) of Regulation 5 of the Principal Regulations as under:

"Provided that the Technical feasibility of Renewable Energy System upto 10 kW is exempted from technical feasibility studies on the same supply type (Voltage level- 1ph,3ph, etc.) and any commensurate enhancement of Sanctioned Load of the consumer, as may be required, shall be carried out by Distribution Licensee.

Provided further that any upgradation in Distribution Infrastructure including DT capacity to facilitate the installation of Renewable Energy System upto 10 kW shall be carried out by Distribution

Licensee and shall be allowed as pass through in Aggregate Revenue Requirement (ARR) subject to prudence check by the Commission.

Provided also that Technical feasibility of Renewable Energy System above 10 kW shall be completed by Distribution Licensee within fifteen (15) days from the date of receipt of application complete in all aspects."

By Order and in The Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi

RAJESH DANGI, Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.08.05 16:32:56 +05'30'